सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व वाद संख्या – 33/2018

पीठासीन अधिकारीः– श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

सुल्तान पुत्र धन्नालाल जाति हरिजन निवासी कादेडा तहसील केकड़ी जिला अजमेर राज.
वादी

बनाम

1. रामप्रसाद पुत्र धन्नालाल
2. ताराचन्द पुत्र धन्नालाल
3. पूर्ण पुत्र धन्नालाल
4. गोपाल पुत्र मोडूराम
5. पिन्टू पुत्र मोडूराम
6. राकेश पुत्र मोडूराम
7. लाडा पुत्री मोडूराम
8. मन्जू पुत्री मोडूराम
9. सुनिता पुत्री मोडूराम

समस्त जाति हरिजन निवासीगण कादेडा तहसील केकडी जिला अजमेर

10. राज. सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान
11. श्रीमान उपपजीयक महोदय, उपंपजीयन कार्यालय कादेडा तहसील केकडी

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,88,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः–28.05.2018

पत्रावली आज केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प कादेडा में पेश हुई। वादी/प्रतिवादीगण उपस्थित। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 53,88,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादी की वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम कादेडा तहसील केकडी जिला अजमेर की जमाबन्दी स. 2069–72 के खाता स. 381 में दर्ज खसरा नम्बर 3217,3218 रकबा क्रमशः 0.77 , 0.85 है. कुल रकबा 1.62 है. दर्ज रिकॉर्ड हे। वादग्रस्त आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण स. 1 के सयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात है जो पुश्तैनी आराजीयात है। उक्त आराजीयात में वादी/प्रतिवादी कब्जे काश्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजी वादी एव प्रतिवादी के पिता/दादाजी धन्नालाल के नाम राजस्वरिकॉर्ड में दर्ज थी। तथा वादी के पिता का हही उक्त आराजीयात पर कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा था। वादी के पिता की मृत्यु हो जाने से वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम नामान्तकरण स. 1912 दिनांक 5.3.2013 के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में वारिसान नामान्तकरण खुल गया । वादग्रस्त आराजीयात से प्रतिवादीगण वादी को आराजी से बेदखल करने का प्रयास कर रहे है। आये दिन लडाई झगडा करते है। उक्त आराजीयात का बिना बंटवारा होने से सीमाओ को लेकर प्रतिवादीगण झगडते है। वादी/प्रतिवादीगण के बीच बंटवारा किया जाकर अलग– अलग राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने एवं प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजीयात को बिना बंटवारा किये किसी भी भू भाग का हस्तान्तरण या अन्तकरण नहीं किया जावें व वादी को अपने हिस्से की आराजीयात के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा व दखलदांजी न करने हेतु प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने हेतु निवेदन किया है। वादी का वाद स्वीकार फरमाया जावें।

हमने वादी का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादीगण 1 उपस्थित । प्रतिवादीस. 1 ने अन्य 2 लगायत 9की जिम्मेदारी ली की बंटवारा किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है।

हमने दस्तावेजों का अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी का बंटवारा किये जाने हेतु वाद का संतुलन वादी के पक्ष में है तथा वादी का वाद प्रेमाफेसाई होना जाहिर होता है।

अतः वादी का दावा स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि ग्राम कादेडा तहसील केकडी जिला अजमेर की जमाबन्दी स. 2069–72 के खाता स. 381 में दर्ज खसरा नम्बर 3217,3218 रकबा क्रमशः 0.77 , 0.85 है. कुल रकबा 1.62 है. भूमि का मुताबिक जमाबन्दी में दर्ज हिस्से पृथक– पृथक खातेदार घोषित करते हुये बंटवारा किये जाने हेतु वादी का दावा डिक्री किया जाता है। तहसीलदार केकड़ी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी का मुताबिक जमाबन्दी में दर्ज हिस्से एवं कब्जे अनुसार बंटवारा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा, ट्रेस के तैयार कर न्यायालय हाजा में पेश करें।

निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी